न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

(1) अपील संख्या :-123/2016/भीलवाड़ा (2016/00096)

1. छोटूलाल पुत्र हजारी माली निवासी तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलांट

बनाम

1. वाईनूर खां पुत्र सब्दल खां कायमखानी
2. भूरे खां पुत्र सब्दल खां कायमखानी
3. हबीब खां पुत्र सब्दल खां कायमखानी
4. सलीम खां पुत्र फैययाज मोहम्मद कायमखानी
5. श्रीमती रहमत बेगम बेवा फैययाज मोहम्मद कायमखानी
   समस्त निवासी मेजा, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डल
7. ग्राम पंचायत मेजा जरिये सचिव, ग्राम पंचायत मेजा पंचायत समिति माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोर्डेटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी माण्डल, जिला भीलवाड़ा दिनांक 14.05.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 03/2016.

उपस्थितः-

1. श्री घनश्याम सिंह लखावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3
3. श्री मोहम्मद इकबाल अभिभाषक रेस्पो0 सं0 4 एवं 5
4. राजकीय अभिभाषक श्री बी0एस0 शेखावत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

(2) अपील संख्या :-68/2018/भीलवाड़ा (2018/00068)

1. सलीम खां पुत्र फैययाज मोहम्मद
2. श्रीमती रेहमत बेगम पत्नी फैययाज मोहम्मद
   जाति कायमखानी, निवासीगण मेजा, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलांटस

बनाम

Scanned by CamScanner

1. वाईनूर खां पुत्र सब्दल खां
2. भूरे खां पुत्र सब्दल खां
3. हबीब खां पुत्र सब्दल खां
   समस्त जाति कायमखानी निवासीगण मेजा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
4. राज0सरकार जरिये तहसीलदार, माण्डल जिला भीलवाडा
5. ग्राम पंचायत मेजा जरिए सरपंच

रेस्पोर्डेट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी माण्डल, जिला भीलवाड़ा दिनांक 14.05.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 03/2016.

उपस्थितः-

1. सविता चौहान, अभिभाषक अपीलांटस ।
2. श्री मदनलाल गुर्जर अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 1 से 3
3. रेस्पो0सं0 4 अनुपस्थित
4. राजकीय अभिभाषक श्री बी0एस0 शेखावत ।

निर्णय

दिनांक :- 16.12.2019

अपीलांट ने दो अलग-अलग अपीलें विद्वान उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ व्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.05.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं । दोनों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने तथा कानूनी विवाद बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक-पृथक संधारित की जावे । xx

1- दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं 1 वाई नूर खां पुत्र सब्दल खां द्वारा उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के समक्ष ग्राम पंचायत मेजा द्वारा स्वीकृत नामा0सं0 1312 दिनांक 02.10.1999 एवं 1765 दिनांक 22.09.2004 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर कथन किये कि विवादित आराजी ख0नं0 422 लगायत 437, 472, 473, 1759 कुल किता 19 कुल रकवा 45 बीघा 9 बिस्वा व आराजी ख0नं0 2816/421 वर्तमान में शामलाति खाते में अपीलार्थी व रेस्पो0सं0 3 लगायत 6 के दर्ज है। उक्त आराजी पूर्व में सब्दल खां वल्द बहादुर खां के नाम दर्ज थी। सब्दल खां की मृत्यु के बाद जो नामा0 रेस्पो सं0 2 (ग्राम पंचायत मेजा) द्वारा अपीलार्थी व रेस्पो0 सं0 3 लगायत 6 के नाम खोला गया, वो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावें क्योंकि अपीलार्थी व रेस्पो0 सं0 3

Scanned by CamScanner

लगायत 6 जाति से मुसलमान होकर सुन्नी सम्प्रदाय में शामिल है। प्रश्नगत नामान्तरकरण मुस्लिम सुन्नी हनीफी विधि अनुसार नहीं खोलकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत खोले गये है, जो निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 द्वारा प्रस्तुत अपील गवाहान के शपथ पत्र व संबंधित उत्तराधिकार प्रावधानों का अवलोकन व अभि0 अपीलार्थी की बहस के आधार पर दोनों नामा0 हिन्दू उत्ताराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत खोले गये मानते हुए अधी0न्याया0 ने ग्राम मेजा के नामा0सं0 1312 दिनांक 02.10.99 व 1765 दिनांक 22.09.04 को निरस्त कर उक्त प्रश्नगत आराजी का अपीलार्थी वाईनूर खां पिता सब्दल खां, भूरे खां वल्द सब्दल खां व हबीब खां वल्द सब्दल खां कायमखानी निवासी मेजा के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 14.05.16 से अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। अपील संख्या 123/2016 (2016/00096), अपील संख्या 68/2018 (2018/00068) के रेस्पोडेंटस के अभिभाषका अनुपस्थित । अपील संख्या 3/2017 (2017/0001) के रेस्पो0 संख्या 1 के उपस्थित होने पर तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

सर्वप्रथम हम अपील संख्या 123/2016 (2016/00096) के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने बाबत एवं अपील संख्या 68/2018 (2018/00068) में अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 मि0अ0 का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थना पत्र अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने बाबत पर अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की ताहिद करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थी की कयशुदा खातेदारी की भूमि है तथा उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के आदेश से प्रार्थी पूर्णतया व्यथित एवं पीडित पक्षकार है क्योंकि प्रार्थी के विवादित भूमि बाबत अधिकार सदैव के लिए समाप्त हो जाते है। इस कारण अपील प्रस्तुत करने का प्रार्थी को पूर्ण अधिकार है। हमने अपीलांट अभि0 की बहस पर मनन किया क्योंकि प्रार्थी विवादित आराजी का केता होकर अपना अधिकार रखता है। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना हम उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने बाबत स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात दोनों अपीलों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मि0अ0 पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्रों पर विचार किया गया। प्रार्थीयों ने मियाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते है।

4- अपीलांट की बहस गुणावगुण पर सुनी गई। अपील संख्या 123/2016 (2016/00096) में अपीलांट अभि0 श्री जी0एस0 लखावत ने अपीलमीमों

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned by CamScanner

में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वर्तमान रेस्पो0 सं0 4 व 5 ने विवादित आराजी में अपना हिस्सा अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दिया है। इसके बावजूद भी अधी0न्याया0 में अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना अपील प्रस्तुत की गई है। जबकि अपीलांट सद्भावी केता है और विधिवत प्रतिफल अदा कर आराजी क्रय की है। विवादित आराजी बाबत एक राजस्व वाद भी विचाराधीन है, जिसमें अपीलार्थी बतौर पक्षकार है लेकिन नामा0 की अपील में अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया है और उसे साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0 अपीलीय न्याया0 के समक्ष दो नामा0 के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की गई है। जो संधारण योग्य ही नहीं थी। कानूनन दो नामा0 के विरूद्ध पृथक-पृथक दो अपीलें प्रस्तुत की जानी चाहिये थी। बहस में आगे कथन किया कि जब विवादित आराजी बाबत राजस्व वाद विचाराधीन है, जिसमें पक्षकारों के हक व अधिकारों का निर्धारण होना शेष है और नामा0 की फिक्सल कार्यवाही में हक व अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अधी0 अपीलीय न्याया0 द्वारा उक्त कानूनी स्थिति पर गौर किये बिना भी अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपील स्वीकार कर अधी0 अपीलीय न्याया0 का निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5- अपने कथन के समर्थन में RRT 2003 (1) P-647 (HC), RRT 2003 (1) P-650 (HC), DNJ 1998 (Raj) P-767 (HC) रेस्पो0सं0 4 व 5 के अभि0 की वहस में कथन किया कि अधी0 अपीलीय न्याया0 द्वारा अधी0न्याया0 का अभिलेख तलव नहीं किया, जो धारा 80 भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। मुस्लिम विरासत एवं उत्ताराधिर विधि नियम 216 एवं मोहम्मदी वेगम बनाम मीर मेहदी अली ए0आई0आर0 1956 हैदरावाद 18 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर कथन किया कि "यदि किसी उत्तराधिकारी के मृत हो जाने की दशा में उसका उत्तराधिकार संबंधी अधिकार नहीं मरता अपितु उसके मृत होने के पश्चात् उसका यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होता है।" अधी0न्याया0 द्वारा उक्त कानूनी स्थिति पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

6- अपील संख्या 68/2018 (2018/00068) के अपीलांट अभि0 सविता चौहान ने अपनी वहस में उक्त वहस का समर्थन किया तथा अपील स्वीकार कर अधी0 अपीलीय न्याया0 का निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

7- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 ने दोनों अपीलों के जवाव वहस में कथन किया कि अधी0 अपीलीय न्याया0 के समक्ष जिन नामा0 को चुनौती दी गई है उनमें छोटूलाल रिकार्ड में नहीं है इसलिए छोटूलाल को अधी0 अपीलीय न्याया0 में प्रस्तुत अपील में पक्षकार नहीं वनाया गया है। अधी0 अपीलीय न्याया0 ने दो नामा0 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर

Scanned by CamScanner

किया है जो उचित व न्यायसंगत है। अधी0 अपीलीय न्याया0 के समक्ष सी0पी0सी0 के प्रावधानों अनुसार अखबार में साया कराया जाकर तामीली करवाई गई है, जो युक्तियुक्त है। सलीम पुत्र फैययाज मो0 व श्रीमती रहमत बेगम बेवा फैययाज मो0 ने अपना हिस्सा बेचान कर दिया है तो उनको अपील करने का अधिकार नहीं रहा है। अधी0न्याया0 द्वारा मुस्लिम विधि के प्रावधानों के अनुसार विधिवत रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है। अतः प्रस्तुत दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

8- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषकगण की बहस एवं प्रस्तुत न्यायिक नजीरों पर मनन किया । प्रकरण में गुणावगुण पर अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी ख0नं0 422 लगायत 437, 472, 473, 1759 कुल किता 19 कुल रकबा 45 बीघा 9 बिस्वा व आराजी ख0नं0 2816/421 उक्त आराजी पूर्व में सब्दल खां वल्द बहादुर खां के नाम दर्ज थी। सब्दल खां की मृत्यु के बाद उनके वारिसों के नाम नामा0सं0 1312 दिनांक 02.10.1999 एवं 1765 दिनांक 22.09.2004 ग्राम पंचायत मेजा द्वारा तस्दीक किया गया है। उक्त प्रकरण में मुख्य विवाद इस तथ्य को लेकर है कि मूल खातेदार सब्दल खां पुत्र बहादुर खां के जीवनकाल में उसके पुत्र फैययाज मो0 का देहान्त होने की स्थिति में उसके वारिसान को उत्तराधिकार प्राप्त होगा अथवा नहीं। इस पर हमने मुस्लिम विरासत एवं उत्ताराधिर विधि नियम 216 (4) का अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट है कि उत्ताराधिकारी के मृत हो जाने से उत्ताराधिकार समाप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सब्दल खां पुत्र बहादुर खां के जीवनकाल में उसके पुत्र फैययाज मो0 का देहान्त होने की स्थिति में उसके वारिसान को उत्तराधिकार प्राप्त होना स्पष्ट है। अधी0 अपीलीय न्याया0 द्वारा मुस्लिम विधि के उक्त प्रावधान के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो अवैधानिक है। फैययाज मो0 के वारिसान सलीम पुत्र फैययाज मो0 व श्रीमती रहमत बेगम बेवा फैययाज मो0 ने अपना हिस्सा छोटूलाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया है, जिसका उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त था।

9- उपरोक्त विवेचन के कम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनो अपीलें स्वीकार योग्य तथा अधी0 अपीलीय न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.05.2016 खारिज किया जाना एवं ग्राम पंचायत मेजा द्वारा तस्दीक नामा0सं0 1312 दिनांक 02.10.1999 एवं 1765 दिनांक 22.09.2004 को यथावत रखा जाना उचित समझते है।

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 123/2016 (2016/00096) बउनवानी छोटूलाल बनाम वाईनूर खां व अन्य, अपील संख्या 68/2018 (2018/00068) बउनवानी सलीम खां व अन्य बनाम वाईनूर खां व अन्य को स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड

Scanned by CamScanner

अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 03/2016 में पारित निर्णय दिनांक 14.05.2016 निरस्त किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक-पृथक संधारित की जावे।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 10.12.2019 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2019.12.13 20:20:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: